

मध्यप्रदेश शासन



## समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक 01/06/03/23239/11

यह प्रमाणित किया जाता है कि सतपुड़ा ड्रिम्ज समिति  
मुलताई समिति जो राजेश बघेल मकान नं. 59 लल्लू वकिल  
गली गुरुसाहब वार्ड, तहसील मुलताई जिला बैतूल में स्थित है,  
मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 ( सन् 1973  
का क्रमांक 44 ) के अधीन 18/04/2011 को पंजीयित की गई है।

दिनांक अठारह माह अप्रैल सन् 2011

*अमित सिंह*  
समितियों के रजिस्ट्रार



*Gyan*  
Manager  
Dreamz Play (Public)  
School, multai 1030887

*Danish*  
Dreamz Play (Public)  
School Multai 1030887

*प्रमाण पत्र*  
समिति / सोसाइटी

## नियमावली

संशोधित नियमावली

४०६५/१२  
१०/१०/११

1. समिति का नाम : सतपुडा ड्रिम्ज समिति मुलताई
2. समिति का कार्यालय : राजेश बघेल न.न. 59, लल्लू बकिल गली गुरुसाहब वार्ड मुलताई तहसील मुलताई हुजूर ज़िला बैतूल म.प्र.
3. समिति का कार्यक्षेत्र : संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
4. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होने :-

  1. सभी प्रकार की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च व उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं को प्रारंभ कर संचालित करना।
  2. सभी प्रकार की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च व उच्चतर शिक्षा इत्यादि जो योग, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल इत्यादि समस्त विषयों से संबंधित हो। उनके संबंध में विभिन्न प्रकार प्रयोग शोध खोज व उनके विस्तार अनुसंधान हेतु आवश्यक कार्य करना जो समाज के लिए लाभकारी हो।
  3. शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर विधालयों का संचालन करना।
  4. छिलाई, कढाई, बुनाई आदि का प्रशिक्षण देना।
  5. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं की समुचित शिक्षा व्यवस्था हेतु प्राथमिक, मीडिल स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, आवासीय विधालय, एजुकेशनल छात्रावास आदि स्थापना एवं संचालन करना।
  6. साक्षरता एवं शिक्षा के स्तर एवं प्रतिशत को उन्नत करने हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली विभिन्न विश्व विधालयों एवं नेशनल ऑपन स्कूल नई दिल्ली तथा कानूनी मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित स्नातक स्नातकोत्तर शिक्षा हेतु संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करना।
  7. केन्द्रीय बोर्ड सी.बी.एस.ई. विधालय का संचालन करना।



अध्यक्ष

कार्यपाल

सचिव

- (5) सदस्यता - संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगे ।
- (अ) संरक्षक सदस्य - संस्था को जो व्यक्ति दान के रूप में रूपये 5000/- या अधिक एक मुश्त या एक साथ बारह किस्तों में देगा वह समिति का संरक्षक सदस्य होगा ।
  - (ब) आजीवन सदस्य - जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में रूपये 2500/- या अधिक देगा वह आजीवन सदस्य बन सकेगा । कोई भी आजीवन सदस्य रूपये 2500 या अधिक देकर संरक्षक सदस्य बन सकता है ।
  - (स) साधारण सदस्य - जो व्यक्ति रूपये 10/- प्रत्येक माह एवं प्रतिवर्ष 120/- रूपये संस्था को चन्दे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य कंवल उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चन्दा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छः माह तक चन्दा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी । ऐसे सदस्य हारा संस्था के लिये नया आवेदन पत्र देने तथा बकाया चन्दे की राशि देने पर पुनः सदस्य दनाया जा सकता है ।
  - (द) सम्मानीय सदस्य - संस्था की प्रबन्ध कारणी किसी व्यक्ति को उस समय के लिये जो भी वह उचित समझे सम्मानीय सदस्य बन सकता है ऐसे सदस्य साधारण सभा वी बैठक में भाग ले सकता है परन्तु उनको मत देने का अधिकार न होगा ।

#### (6) सदस्यता की प्राप्ति :-

प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा । ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारिणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को उत्तीर्ण करने या अमान्य करने का अधिकार होगा ।

#### सदस्यता :

संस्था के सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है ।

(1) \* वय 18 वर्ष से कम न हो

(2) \* भारतीय नागरिक हों

(3) समिति के नियमों के पालन करने की प्रतिज्ञा की हो ।

(4) सद्वरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो ।

#### (8) सदस्यता की समाप्ति -

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगी :-

- (1) मृत्यु हो जाने पर
- (2) पागल हो जाने पर
- (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर ।
- (4) त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर
- (5) चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी ।

#### (9) संस्था कार्यालय में सदस्यता पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्न व्योरे दर्ज किये जावेगे -

- (1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय ।
- (2) वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर ।
- (3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो ।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

Manager

Dreamz Play (Public)  
School, multai 1030887

  
 Principal  
 Dreamz Play (Public)  
 School Multai 1030887

०) (अ) साधारण सभा : साधारणसभा में नियम ५ में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी । परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारणी समिति निर्वाचित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जायेगी । बैठक का कोरम ३/३ सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आमसभा पंजीयन दिनांक से ३ माह के भीतर बुलाई जावेगी । उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता है तो पंजीयक को अधिकार होगा की वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी व मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों को विधिवत चुनाव कराया जावेगा ।

(ब) प्रबंधकारिणी सभा : प्रबंधकारिणी सभा की बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का ऐजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी । बैठक में कोरम १/२ सदस्यों की होगी । यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकती जिसके लिये कोरम की कोई शर्त न हाँगी ।

(स) विशेष : यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के २/३ सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाये विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी । विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से १४ दिन के भीतर भेजा जावेगी । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।



#### \* साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य --

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
- (ख) संस्था की स्थाई निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था करना ।
- (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों को नियुक्त करना ।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों ।
- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
- (छ) बजट का अनुमोदन करना ।

#### (12) प्रबंधकारिणी का गठन :

ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन समिति के पदेन सदस्य रहेंगे । नियम ५ (अ.ब.स) में दर्शाये गये सदस्यों के नाम पंजी रजिस्ट्रर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निमनांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी के सदस्यों का निर्वाचन होगा ।  
(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) सह सचिव एवं सदस्य ५

#### (13) प्रबंध समिति का कार्यकाल :

प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक की नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता , करती रहेगी किन्तु उक्त अवधि ६ माह से अधिक नहीं होगी जिसकी अनुमोदन साधारण सभा से करना अनिवार्य होगा ।

*अध्यक्ष*

*Manager*

Dreamz Play (Public)  
School, multai 1030887

*कोषाध्यक्ष*

*सचिव*

*Principal*  
Dreamz Play (Public)  
School Multai 1030887

) प्रबंधकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :-

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।
  - (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
  - (स) समिति एवं उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
  - (द) कर्मचारियों शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।
  - (इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय - समय पर सौंपें जाए।
  - (च) संस्था की समस्त चल अचल संपत्ति, कार्यकारणी समिति के नाम से रहेगी।
  - (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थायीर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुशंसा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या हस्तान्तरित नहीं की जावेगी।
  - (ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा में कुल सदयों  $\frac{2}{3}$  मतों से संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।
- कर्ज संबंधित :-** संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु चल या अचल संपत्ति खरीदने हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक शेड्यूल बैंक अथवा फायनेंस संस्था से शाला संचालन एवं निर्माण हेतु ऋण ले सकती है एवं बैंक प्रददत ऋण प्राप्त न होने पर बंधक संपत्ति को बैंक अपने अधिकार में ले सकती है एवं कार्यवाही कर सकती है। संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था की भूमि या संपत्ति को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक, शेड्यूल बैंक अथवा फायनेंस संस्था में बंधक या रहन रख कर ऋण ले सकती है।

(15) अध्यक्ष के अधिकार :-

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

(16) उपाध्यक्ष के अधिकार :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

(17) (अ) सचिव (मंत्री) के अधिकार

- (1) साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो प्रस्तुत करना।
- (2) समिति का आय व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना।
- (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमित पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
- (4) सचिव को किसी कार्य के लिए एक समय में रूपये 4000/- खर्च करने का अधिकार होगा।

(18) कोषाध्यक्ष के अधिकार -

समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारणी द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय करना।

*Manager*

Dreamz Play (Public)  
School, multai 1030887

*Principal*  
Dreamz Play (Public)  
School Multai 1030887



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

35AA 901044



✓ CCC

शासन/विधान की प्रभागित परिषद  
के द्वारा राजनीति का विवर  
लोकाल संघर्ष विकास लोकाल संघर्ष  
पंचायती विकास लोकाल संघर्ष

विधान के हाथापाई

Principal  
Dreamz Play (Public)  
School Multai 1030887

✓ ८७  
प्रधान प्रिंसिपल  
प्रिंसिपल रजिस्ट्रेटर

Gpw  
Manager  
Dreamz Play (Public)  
School, multai 1030887

- 19) बैंक खाता -  
संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के सयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रूपये 2000/- रहेंगे।

20) पंजीयक को भेजे जाने वाली जानकारी :-  
अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी। तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्थाक की परीक्षित लेखा भेजेगी।

21) संशोधन  
संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के  $2/3$  मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक फर्मस एवं संस्थाएँ को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

22) विघटन  
संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के  $3/5$  मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल संपत्ति किसी समान उददेश्य वाली संस्था को सौप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।



संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी ।

- (25) पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :  
 संस्था की पंजीयन नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएँ की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

(26) विवाद  
 संस्था में किसी प्रकार विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध सभिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

सचिव की अनुपस्थिति में सहायता करेगा।

तुम लेहे ॥६॥ ताव न न / रसीद जिया  
अध्यक्ष | ० दिनांक | ५|७|१२ | लक्ष्मण अध्यक्ष

Manager 42  
Play (Pub)  
multai 1030887

Dreamz Play (Public)  
School Multai 1030887